हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

वर्ष : 17 अंक : 05 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 मई, 2026

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

ओबीसी क्रीमी लेयर मामले में नोटिस जारी

माता-पिता आई.ए.एस. अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों? सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: कहा- ऐसे तो हालात नहीं बदलेंगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर बुनियादी सवाल उठाते हुए अहम टिप्पणी की।

ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षण संबंधी एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि माता-पिता भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारी है तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? जस्टिस बीवी नागरत्ना जस्टिस उज्जल भुइया की बैंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ (डीबी) के फैसले के खिलाफ अपील के दौरान यह टिप्पणी की।

डीबी ने ओबीसी याचिकाकर्ता के सरकारी कर्मचारी माता-पिता की आय क्रीमी लेयर सीमा से अधिक होने के कारण उन्हें आरक्षण लाभ नहीं देने को उचित ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने सवाल उठाया कि क्या आरक्षण के माध्यम से शैक्षिक और आर्थिक उन्नति हासिल करने वाले परिवारों के बच्चों को ओबीसी आरक्षण के लाभ मिलते रहने चाहिए? शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण से सामाजिक गतिशीलता (सामाजिक स्थिति में परिवर्तन) आती है। इसलिए बच्चों के लिए फिर से आरक्षण की मांग करने पर हम कभी भी इस हालात से बाहर नहीं निकल पाएगा।

यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। बेंच ने सुनवाई के बाद इस मामले में नोटिस जारी किया है।

सिर्फ वेतन मापदंड नहीं हो सकता: सुनवाई के दौरान

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शशांक राजू ने तर्क दिया कि सरकारी कर्मचारियों में क्रीमी लेयर तय करने का मापदंड केवल वेतन नहीं है। यह माता-पिता की स्थिति पर भी निर्भर करता है कि वह समूह ए या समूह बी सेवाओं से संबंधित है या नहीं। इसमें सामाजिक पिछड़ापन भी है, यदि वेतन व आय एकमात्र आधार होगा तो आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और ओबीसी आरक्षण में फर्क नहीं रहेगा। वेतन को ही एकमात्र मापदंड माना जाए, तो चालक, चपरासी, क्लर्क व अन्य निम्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारी भी आरक्षण के लाभ से वंचित हो सकते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने आइएएस अधिकारियों के बच्चों का उदाहरण देते हुए पूछा कि जब दोनों माता-पिता आईएएस अधिकारी हैं व सरकारी सेवा में उच्च पदों पर कार्यरत हैं, तो आरक्षण क्यों जारी रहना चाहिए। संबंधित मामले में याचिकाकर्ता पिता का मूल वेतन 53,900 रुपए प्रति माह था, जबकि माता का मूल वेतन 52,650 रुपए प्रति माह है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि आप कमजोर वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं। माता-पिता ने पढ़ाई की है, वे अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छी आमदनी हैं और बच्चे फिर से आरक्षण चाहते हैं। फिर आरक्षण का क्या फायदा? ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर निकलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट कह चुका है.... एससी और एसटी में भी हो क्रीमी लेयर

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान बेंच ने एससी-एसटी आरक्षण कोटे में कोटा (उपवर्गीकरण) एक अगस्त, 2024 को दिए ऐतिहासिक फैसले में इन वर्गों में भी ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही थी। हालांकि यह देश के किसी भी राज्य में लागू नहीं हुआ। फैसले में बेंच के चार जजों ने एससी में भी क्रीमीलेयर लागू करने का पक्ष लिया था। फैसले में अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले जस्टिस बीआर गवई ने अलग से लिखे फैसले में एससी-एसटी में क्रीमीलेयर व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता बताई थी जबकि तीन अन्य जजों जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मिथल एवं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने उनसे सहमति जताई थी। जस्टिस गवई ने कहा था कि आरक्षण का फायदा पा चुके लोगों को इससे बाहर कर वंचितों को मौका दिया जाना चाहिए।

आरक्षण को लेकर कोर्ट ने क्या कहा

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता आती है। ऐसे में अगर अगली पीढ़ी भी आरक्षण मांगती रहेगी तो समाज कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। उन्होंने कहा कि यह भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।

जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि छात्रों के माता-पिता अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे फिर भी आरक्षण चाहते हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि उन्हें अब आरक्षण से बाहर निकलना चाहिए।

कोर्ट ने कहा- संतुलन बनाए रखना जरूरी

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में नोटिस जारी किया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इस मुद्दे में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन अपनी जगह है, लेकिन जब माता-पिता आरक्षण का लाभ लेकर एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके हैं और दोनों आईएएस अधिकारी या सरकारी सेवा में अच्छी स्थिति में हैं, तो सामाजिक गतिशीलता स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर रखने के आदेशों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि लोगों को उनकी सैलरी की वजह से नहीं, बल्कि उनके सामाजिक दर्जे के आधार पर बाहर किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रुप ए,बी कर्मचारियों को बाहर किया गया है।

अध्यक्ष की कलम से

''जाति मोहरा''

साथियों,

सामाजिक न्याय एक शिगूफा है। यह वाक्य अनेक लोगों को चौंकायेगा तो अधिकांश लोगों के मन को सुकून भी मिलेगा। भारतीय समाज को खण्ड-खण्ड में बॉट कर किस तरह से सामाजिक न्याय हो सकता है ये शोध का विषय अवश्य हो सकता है लेकिन विश्वास का नहीं मान सकते हैं।

18-20 साल संविधानिक और सामाजिक (मिशन-59)संघर्ष के के बाद बाद आज हम मानते हैं कि सभी पार्टियाँ, सरकारे और संसद भले ही विकास का ढिठोरा पीटें लेकिन असल में जातियों में जहर फैलाकर जहरी मोहरा ढूढने का ढोंग करती हैं।

राष्ट्र के सामने इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता कि देश के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ एक ही मंच पर बैठकर पूरी लोकतांत्तिक प्रक्रिया का सम्मान गिराते हैं। गोदी मीडिया सभ्यता के मुंह पर प्रतिदिन बार-बार थूकता है और यदि भूल से कोई बोल जाये तो उसे मनुवादी, जातिवादी और न जाने क्या-2 कह दिया जाता है।

कोई पाँच सो साल पहले गुसाई तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरित मानस में घोर कलि काल की चर्चा की है। यदि कोई शोध करे तो संभव है कि उनका इशारा इसी सामाजिक न्याय की तरफ रहा होगा। कारण कि आज देश सिस्टम में एक भी अंग ऐसा नहीं है जो इसके कारण दूषित न हुआ हो। हम मांग करते हैं कि सामाजिक न्याय पुन: परिभाषित हो।

जय समता ।

सम्पादकीय

''लोकतंत्र V/s जातितत्र''

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस शासन पद्धति में किसी निराशा का स्थान नहीं होता है। एक क्षीण आशा और विश्वास हमेशा बने रहते हैं। शायद इसीलिये सनातन मूल्यों का संरक्षण और पालन करने वाले भारत देश में किसी ''जैन-जी'' जैसे विद्रोह की संभावना कभी नहीं बनती हैं। न केवल आजाद भारत बल्कि हजारों साल की सतत परंपरा में भारत भूमि के युवा समुदाय की ऐसी दुदर्शा कभी नहीं हुई जैसी वर्तमान में देखने को मिल रही है।

भारत पर ही नहीं दुनिया की हर सभ्यता को सीमा पार के दबावों को झैलना पड़ता रहा है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है- ''यूनान मिश्र रोमॉ सब मिट गये जहाँ से, कुछ है कि हसती मिटती नहीं हमारी''। अल्लामा इकबाल की ये पंक्तियॉ बार-बार और शायद हजारों बार दोहराई जा चुकी हैं। जनकि सच ये है कि इस शायर का अन्त:करण इतना भारतीय नहीं था जितना उसे सम्मान दिया जाता है। फिर भी वो भारत के आदर्शों में गिना जाता है। हम अर्थात भारत भूमि के लोग बुराई में भी अच्छाई की आशा रखते है और ढूंढ निकालते हैं।

लेकिन न जाने कहाँ किससे चूक हुई कि जात आरक्षण के नाम पर भारत देश खुद से ही धोखा खा गया। 298 संविधान सभा सदस्यों द्वारा लगभग पूरे तीन साल परिश्रम और सोच-विचार के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षरों से लागू देश के सर्वोच्च ग्रंथ को एक अकेले आदमी की डायरी की तरह उधृत किया जाता है। हमारा साफ मानना है कि यदि 298 स्वतंत्रता सेनानियों को नकार कर किसी एक व्यक्ति को संविधान निर्माता कहा जाता है तो असंदिग्ध रूप में वह संविधान नहीं अपितु एक व्यक्ति की डायरी है और उस डायरी में भी जाति आरक्षण का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। जो था वो मात्र 1950 से 1960 के दशक तक सीमित था। फिर वो रक्तबीज कैसे बन गया?

पार्षद से पंत प्रधान तक यदि डायरी को संविधान का दर्जा देंगे तो संविधान की आत्मा का जो होना है वो तो बाद की बात है। इससे पहले उस डायरी की भावना पर अवश्य ही प्रश्न बनेंगे जो आजादी के पहले 75-78 सालों में ही 130 बार बदली जा चुकी है। दुनिया में भारत को छोड़कर शायद ही किसी देश ने अपने संविधान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक किया होगा। खास बात ये कि जिस अंग्रेज प्रभु ने भारत पर अपने संविधान के तहत 80 साल तक शासन किया उसका अपना संविधान बहुत ही कम पन्नों का है, शेष सभी कुछ वहाँ अभी भी परंपरा से चलता है।

कई बार हताश नेताओं को यह कहते सुना है कि ''पार्टी हमारी माँ होती है'' लेकिन हम अब तक अनुभव से कहते हैं कि लोकतंत्र को मारकर उसका खून पीने को लालालित पार्टियॉ वास्तव में डायन होती है, जो लगातार हमारे प्यारे गणतंत्रात्मक नींव वाले लोकतंत्र को खाये जा रही हैं। फिर भी हम आशान्वित हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वर्तमान सरकारों का प्रिय खेल है शहरों, कस्बों का नाम बदलना। हमारा उनसे आग्रह है कि वे कृपया पूरे भारत का ''जातितंत्र'' का नामकरण कर दें।

हम हमारी आशा पर भले ही संतोष करना चाहे लेकिन जात का हरकारा बनीं सभी पार्टियॉ हमारी विनम्र आशा का भी अपहरण करना चाहती हैं। हे प्रभु अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को बचाईयें। जय समता ।

– योगेश्वर झाड़सरिया –

'सरकार के पास पिछड़ी जातियों की आबादी का सटीक आंकड़ा होना चाहिए'

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ यह भी कहा कि पिछड़ों के कल्याण के लिए बेहतर योजनाएं बनाने के लिए जातीय जनगणना बेहद जरुरी है

नई दिल्ली। 20 मई। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना कराने के महत्व को रेखांकित किया है और कहा है कि सरकार के पास पिछड़ी जातियों के लोगों का सटीक आंकड़ा होना चाहिए। कोर्ट ने यह बात जाति जनगणना से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कही।

न्यायालय का मानना है कि डेटा संग्रह सामाजिक कल्याण नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए बेहद जरूरी है। अदालत की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब विभिन्न समुदायों को दिये जाने वाले लाभ और सामाजिक न्याय से संबंधित चर्चाएं चल रही हैं। कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों के सटीक आंकड़े प्राप्त होने पर सरकार संसाधनों का सही आवंटन कर सकती है और कार्यक्रम इस तरह बना सकती है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समानता बढ़े। वहीं, भरोसेमंद डेटा की कमी, हाशिए पर रहे समूहों के उत्थान के प्रयासों में बाधक होती है। विभिन्न राज्यों के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के सुझावों पर सहमति जताते हुए कह रहे हैं कि जाति जनगणना से सामाजिक नीतियों का निर्माण अधिक सटीक होगा और ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों की भागीदारी बढ़ेगी।

चर्चा के दौरान, अनेक हितधारकों ने जाति जनगणना का समर्थन किया है। वकीलों ने कहा है कि इससे ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने और नीति निर्माण में समाज की वास्तविक संरचना को पहचानने में मदद मिलेगी।

अदालत की टिप्पणियों के संदर्भ में, सरकारी प्रतिनिधियों ने पिछड़ी जातियों से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा की आवश्यकता स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में डेटा संग्रह की प्रक्रिया को सुधारने के उपाय पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, इसकी समय सीमा अभी स्पष्ट नहीं है। अदालत ने जोर देते हुए कहा कि अगली सुनवाइयों में इस दिशा में हुई प्रगति की जानकारी दी जाए। इसके अलावा, सरकार पर जाति जनगणना कराने के अपने दृष्टिकोण को न्यायसंगत ठहराने का दबाव भी है। कई लोग तर्क दे रहे हैं कि अपर्याप्त डेटा असमानताओं को बढ़ावा दे सकता है। अधिकारियों ने इस मुद्दे को संबोधित करने की प्रतिबद्धता जताई है और कहा कि जनगणना सभी समुदायों के लिए समान प्रतिनिधित्व और सरकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने का दीर्घकालिक समाधान है।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि कोर्ट का जाति जनगणना पर जोर केवल निष्पक्षता बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा ढांचा बनाने का प्रयास भी है, जिसमें सभी नागरिक सरकारी संसाधनों से समान रूप से लाभान्वित हो सकें। यह दृष्टिकोण उन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है, जो समावेशिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं।

जाति जनगणना के संभावित कार्यान्वयन से भारत में सामाजिक सेवाओं के भविष्य की संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। जैसे-जैसे विभिन्न राज्य जाति आधारित डेटा संग्रह शुरू करने पर चर्चा करेंगे, न्यायिक निगरानी और सार्वजनिक जवाबदेही की भूमिका और महत्वपूर्ण होती जाएगी। विश्लेषकों का कहना है कि स्पष्ट और सुपरिभाषित डेटा सभी स्तरों पर सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक जानकारीयुक्त और प्रभावी बना सकता है। किसी भी संभावित जनगणना की तैयारी के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में लंबित फैसले अंतत: नीति निर्माण में जाति संबंधी मुद्दों को कैसे संबोधित किया जाए, इसका उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। कोर्ट ने सटीक जनगणना डेटा की आवश्यकता पर जोर दिया है तथा सरकारी अधिकारियों से जवाबदेही और जिम्मेदारी की अपील की है, ताकि पिछड़ी जातियों की वास्तविक परिस्थितियों को पहचाना और संबोधित किया जा सके।

जैसे-जैसे जाति जनगणना पर चर्चा आगे बढ़ती है, सार्वजनिक भागीदारी और उसकी वकालत के प्रयास यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होंगे कि इस पहल से अल्पसंख्यक और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को वास्तविक लाभ मिले। न्यायपालिका द्वारा इस मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करना भारत की विविधतापूर्ण जनसंख्या को समझने और सेवा देने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता को फिर से रेखांकित करता है।

*** सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह राय व्यक्त की, इसका अर्थ है कि कोर्ट मानता है कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए डेटा संग्रह बेहद जरुरी है।**

*** सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के मद्देनज़र सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार देश भर से सटीक आकड़ें प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करने के प्रयासों पर विचार कर रही हैए हालांकि उन्होंने इसकी समय सीमा नहीं बताईए कोर्ट ने बाद की हियरिंग्स में इसके अपडेट देने के निर्देश दिए।**

ईडब्ल्यूएस लाभ से वंचित नहीं कर सकते: हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफ्सिर भर्ती मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि दूसरे राज्य से राजस्थान में विवाह होने (लोकेशन बदलने) मात्र से किसी अभ्यर्थी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

न्यायाधीश आनंद शर्मा की एकलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे प्रार्थिया करुणा सारस्वत को 20 दिनों में नियुक्ति प्रदान करें।

हरियाणा निवासी करुणा का विवाह राजस्थान में हुआ था। उसने भर्ती में हरियाणा का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पेश किया जिसे एजेंसी ने दूसरे राज्य का बताकर खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने ''मनीषा देवी बनाम राजस्थान सरकार'' मामले (1 अप्रेल 2026) के फैसले का हवाला दिया, जिसमें खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि महज विवाह के कारण राज्य बदलने पर आरक्षण लाभ नहीं छीना जा सकता।

पौराणिक कथन: 'गोव्रत'

गोहत्या के प्रायश्चित के रूप में प्रायश्चित प्रदीप्त विधी के अनुसार मात्र गाय का दूध पीकर गोचर भूमि में गाय के साथ विचरते है।

सभी जाति आतंक लौटकर,
अब आया बिन्दास सोचकर।
फिर गिद्धों की मौज बनेगी-
जीमेंगे योग्यता नोचकर।।

कविता

सदा जले समता का दीपक

गूंज उठा था स्वर एक दिन,
जयपुर की उस धरती पर,
11 मई 2008 को,
शुरू हुआ संकल्प अमर।
जात-पात की बेड़ियाँ जब,
मानवता को बाँध गईं,
समता की लौ लेकर निकले,
जोत नई फिर जाग गई।
न था विरोध किसी का सपना,
न था क्रोध किसी पर भारी,
बस चाहत थी इस जीवन में,
हो सबके संग समानता सारी।
न भेदभाव, न ऊँच-नीच,
न पद, न वर्ण का घाव हो,
हर मनुज को अधिकार मिले,
यही समता का भाव हो।
सदियों की जो पीड़ा थी,
आरक्षण की दीवार बनी,
हक छिनता प्रतिभाओं का,
न्याय कहीं लाचार बनी।
उस अंधकार को चीर चला,
इक दीप समर्पण का,
समता आंदोलन बन गया,
स्वर जन-जन के अर्पण का।
हर सभा, हर संवाद में,
उठा एक ही नारा,
अवसर सबको बराबर दो,
हो न्यायपूर्ण उजियारा।
संविधान की आत्मा से,
न्याय को जोड़ा गया,
संघर्षों के पथ पर चलकर,
सच का दीप छोड़ा गया।
सत्रह बरस हुए आज,
फिर भी ज्वाला मंद नहीं,
समता की इस मशाल में,
अब तक थकन की गंध नहीं।
युवाओं में जोश बना है,
बुजुर्गों में आशीर्वाद,
समता आंदोलन बना है,
जन-जन की पहचान आज।
आओ मिलकर हम सब जन,
इस पावन दिन पर प्रण लें,
जहाँ न हो कोई भेद शेष,
उस भारत के सपने बुन लें।
न्याय-समानता-स्वाभिमान का,
यह संग्राम चलता जाए,
समता की जय-जयकार से,
हर कोना गूंजता जाए।

-डॉ नीरज पारीक,अजमेर-

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण न दिए जाने को समानता के सिद्धांत का उल्लंघन बताने वाले लोगों में- विशेषकर राजनीतिक वर्ग में- वे ही लोग हैं, जिनका कहना होता है कि चूँकि सरकारी तंत्र में वे उच्च पदाधिकारी हैं, अत: उन्हें अपने देश के और विदेशों के भी महँगे-से-महँगे अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए- और वह भी सरकारी खर्च पर, जो आम आदमी के लिए एक सपने से भी बड़ी बात होती है! जी हाँ, यही है समाजवाद!

लेकिन एक समस्या और है, जो इससे भी बड़ी है। सार्वजनिक बहस में जातिवादियों द्वारा और न्यायपालिका में अनेक सहयोगियों यानी प्रगतिवादियों द्वारा नैतिकता की लड़ाई लड़ी गई है, जिन्होंने भारत की वास्तविकता या सच्चाई की ओर देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जाति ही वर्ग है। परिणामस्वरूप् न्यायपलिका को जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है, वह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कायरता का सहारा लेती है।

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

आरक्षण कभी समाप्त नहीं हो सकता ऐसा कहना जिम्मेदारी से भागना एवं दूसरों को भी हत्तोत्साहित करना है

समता आन्दोलन के स्कूल शिक्षा प्रकोष्ठ का गठन मई 2020 में किया गया। वर्तमान में 150 वाट्सऐप ग्रुप तथा अस्सी हजार से भी अधिक सदस्य हैं। जनजागरण अभियान के तहत प्रतिदिन सभी ग्रुपों में नियमित रूप से पोस्ट डाली जा रही है। आइये समझें- सोशल मीडिया का महत्व:-

सोशल मीडिया की उपयोगिता बतलाने के लिए भारत का एक उदाहरण - भारत में वर्तमान केन्द्र सरकार ने सवर्ण युवाओं को जन्मजात अपराधी बनाने का यूजीसी कानून 13 जनवरी 26 को बनाया। सारे देश में सवर्ण लोगों द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया। सोशल मीडिया ने इस चिनगारी में घी का काम किया, इस आंदोलन को घर-घर, जन जन तक पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई न कर तीन माह बाद सुनवाई की तारीख दी। इसने यूजीसी के विरूद्ध आन्दोलन की आग में घी काम किया। परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल 29 जनवरी 26 को सुनवाई की तथा यूजीसी एक्ट 2026 पर स्टे दे दिया। इस बाबत सरकार से जवाब मांगा है। जो सरकार अब तक देने में विफल रही है। यूजीसी का विरोध जब तक यह कानून वापस नहीं हो जाता जारी रहेगा।

कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण कभी समाप्त नहीं हो सकता। ऐसा कह कर वे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तथा दूसरों को भी हत्तोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी काम असम्भव नहीं है।

कुछ उदाहरण:-

1. अंग्रजों के राज में सूरज कभी छिपता नहीं था। सभी छहों महाद्वीपों पर शासन था। अब सभी देश स्वतंत्र हो गये है। कुछ दिन पूर्व एक भारतवंशी वहां का प्रधानमंत्री भी रहा है।
2. काश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई।
3. अयोध्या में राम मन्दिर का निर्माण पूरा हो चुका है।
4. यूरोप में जर्मनी को विभाजित करने वाली बर्लिन की दीवार 1989 में ढहा दी गई।
5. बिहार के एक साधारण से आदमी दशरथ मांझी ने 22 वर्ष में छैनी हथोड़ा से पहाड़ को काटकर सड़क बना दी। उसने पत्नी के इलाज के अभाव में मर जाने पर 360 फुट लम्बी, 30 फुट चौड़ी तथा 25 फुट ऊंची पहाड़ी को काटकर सड़क बना दी।

तो हम सब के दृढ़ संकल्प के सामने जातिगत आरक्षण तथा यूजीसी एक्ट क्या हैं?

नकारात्मक आलोचनाओं के बजाय आपके साहसिक, सक्रिय, सतत, सहयोग एवं समता आंदोलन को प्राण प्रण से समर्पित कर समता आन्दोलन के उद्देश्यों को सफल बनाने में सक्रीय भागीदारी निभाकर अपने राष्ट्रवादी होने का परिचय दीजिये, देखे आरक्षण एवं यूजीसी एक्ट कैसे समाप्त नहीं होता है।

बाबू लाल विजयवर्गीय,
प्रदेशाध्यक्ष, समता राजस्थान
स्कूल शिक्षा प्रकोष्ठ

सवाई माधोपुर समता स्थापना महोत्सव में यूजीसी बिल का किया विरोध

सवाई माधोपुर। जिला मुख्यालय पर समता आंदोलन समिति का 19वां स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समिति द्वारा तहसील एवं जिला स्तर पर भी स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समता आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास एवं सहयोग से देश का एक बड़ा गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन बन चुका है। उन्होंने कहा कि समिति का उद्देश्य 'हर इंसान एक समान, एक राष्ट्र एक जान और मेरा भारत महान' की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने यूजीसी बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह देशहित में नहीं है तथा इसे वापस लिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसे कानून समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने सरकारों से देश की अखंडता एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में कार्य करने की अपील की।

साक्षात्कार: पाराशर नारायण, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समता आंदोलन समिति

भाजपा ने देश को गृहयुद्ध की ओर धकेला

एक साक्षात्कार के दौरान समता आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण ने जातिगत आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण और भाजपा सरकार की नीतियों पर बेबाकी से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र में सत्ता में आईए तो उन्होंने हमारे साथ घोर धोखा किया। जनरल सिंह प्रकरण में 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, फिर भी उस मामले की दोबारा सुनवाई शुरू करवाई गई और एम.नागराज प्रकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण शर्तों को हटाया गया। यह हमारे अनुसार नीतिगत और संवैधानिक स्तर पर गंभीर मामला है। इससे यह स्पष्ट है कि भाजपा ने जानबूझकर प्रमोशन में आरक्षण को पुनर्जीवित करने की कोशिश की।

प्रश्न 1: समता आंदोलन समिति क्या है और इसकी ताकत कितनी है?

पाराशर नारायण: समता आंदोलन समिति सामाजिक समानता, आरक्षण नीति और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर देशभर में सक्रिय रूप से काम करने वाला संगठन है। हमारे पास 8 राज्यों में 1 लाख 30 हजार से अधिक सदस्य हैं और 8000 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हम हर तहसील स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और युवा व महिला संगठनों के माध्यम से गैर-आरक्षित वर्गों को इस आंदोलन से जोड़ रहे हैं।

प्रश्न 2: आप भाजपा सरकार पर 'धोखे' का आरोप लगा रहे हैं यह किस संदर्भ में है?

पाराशर नारायण: यह बहुत गंभीर मामला है। हम लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर सुप्रीम कोर्ट से प्रमोशन में जातिगत आरक्षण समाप्त करवाने में सफल हुए थे। इसके बाद 2012 में तत्कालीन सरकार 117वां संविधान संशोधन लेकर आई, जिसे हमने विरोध किया और वह संशोधन निरस्त हो गया। लेकिन जब भाजपा केंद्र में सत्ता में आई, तो उन्होंने हमारे साथ घोर धोखा किया। जनरल सिंह प्रकरण में 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, फिर भी उस मामले की दोबारा सुनवाई शुरू करवाई गई और एम.नागराज प्रकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण शर्तों को हटाया गया। यह हमारे अनुसार नीतिगत और संवैधानिक स्तर पर गंभीर मामला है। इससे यह स्पष्ट है कि भाजपा ने जानबूझकर प्रमोशन में आरक्षण को पुनर्जीवित करने की कोशिश की।

प्रश्न 3: सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच के फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं?

पाराशर नारायण: यह अत्यंत विध्वंसकारी फैसला है। एम. नागराज प्रकरण में प्रमोशन में आरक्षण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी ''बैकवर्डनेस'' की शर्त जिसे 117वें संशोधन के जरिए हटाने की कोशिश हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने उसे हटा दिया। यह देश को गर्त में ले जाने वाला निर्णय है। मुझे समझ नहीं आता कि केंद्र सरकार सो रही थी या यह जानबूझकर किया गया। लेकिन जो भी हो, जिम्मेदारी पूरी तरह केंद्र सरकार की है।

प्रश्न 4: क्या आरक्षण को कानूनी तरीके से समाप्त किया जा सकता है?

पाराशर नारायण: बिल्कुल किया जा सकता है। आरक्षण कोई ऐसा कानून नहीं है जिसे समाप्त नहीं किया जा सके। राजस्थान की स्थिति देखें तो सभी संवर्गों में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व निर्धारित सीमा से कहीं ज्यादा हो चुका है। संविधान के अनुसार जब प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो जाए, तो आरक्षण जारी नहीं रखा जा सकता। अब राजस्थान में जो भी भर्तियां जातिगत आरक्षण के आधार पर हो रही हैं, वे असंवैधानिक हैं। हम हर भर्ती में अभ्यर्थियों के साथ मिलकर रिट दायर करेंगे और किसी भी भर्ती को बिना कानूनी चुनौती के पूरा नहीं होने देंगे।

प्रश्न 5: क्या जातिगत आरक्षण देश के लिए खतरनाक है?

पाराशर नारायण: यह देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। जातिगत आरक्षण के कारण राजनीति दूषित हो रही है और यह जातीय गृहयुद्ध की स्थिति की ओर बढ़ रही है। नौकरी मिलने के बाद सभी बराबर हैं यह सिद्धांत होना चाहिए। प्रमोशन में जाति का आधार समाप्त होना ही चाहिए। यूजीसी रेगुलेशन इसी दिशा में एक और खतरनाक कदम है जो देश को गृहयुद्ध की ओर ले जाएगा। देश का दुर्भाग्य है कि प्रगति से ध्यान हटाकर एक वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न 6: आप आरक्षण व्यवस्था को लेकर क्या परिवर्तन चाहते हैं?

पाराशर नारायण: हमारा कहना है कि नौकरी मिलने के बाद सभी कर्मचारी बराबर होते हैं। पदोन्नति में जातिगत आधार पर आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आरक्षण कोई ऐसा कानून नहीं है जिसे बदला या समाप्त नहीं किया जा सकता। संवैधानिक और विधिक रास्तों से इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। हम पदोन्नति में आरक्षण समाप्त, यूजीसी रोल बैक, विधानसभा व लोकसभा में क्षेत्रों में आरक्षण समाप्त कर टिकट वितरण व्यवस्था हो, ईडब्ल्यूएस के प्रावधान एससी, एसटी, ओबीसी सभी वर्गों पर लागू हो।

प्रश्न 7: भाजपा के विरुद्ध समता आंदोलन समिति की रणनीति क्या होगी?

पाराशर नारायण: हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक यूजीसी रेगुलेशन वापस नहीं होता और जब तक यह असंवैधानिक व्यवस्था समाप्त नहीं होती, हम भाजपा का हर मोर्चे पर विरोध करेंगे। भाजपा जहां भी चुनाव लड़ेगी, हम वहां विरोध दर्ज कराएंगे और चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट के माध्यम से भी हम संवैधानिक लड़ाई जारी रखेंगे। 56 इंच की छाती का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर मौन क्यों हैं-यह सवाल देश मांग रहा है।

प्रश्न 8: आम नागरिकों और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है?

पाराशर नारायण: मेरा संदेश यह है कि अज्ञानता ही सबसे बड़ी बाधा है। हमारा काम लोगों को जागरूक करना है हर मंच पर इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। युवा और महिलाएं इस आंदोलन की रीढ़ हैं। जो गैर-आरक्षित वर्ग के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में असंवैधानिक आरक्षण की मार झेल रहे हैं, उन्हें समता आंदोलन समिति से जुड़ना चाहिए। सरकार को संवैधानिक और विधिक रास्ते पर लाना हम सबकी जिम्मेदारी है यह लड़ाई लंबी है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे।

-राहुल पारीक

कोटा में समता आंदोलन समिति का स्थापना महोत्सव का आयोजन

समता आंदोलन ने जातिगत आरक्षण पर उठाए सवाल, क्रीमीलेयर की मांग

कोटा। समता आंदोलन के 19वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण ने कहा कि देश की प्रतिभा व पिछड़ों के साथ समता आंदोलन है। आरक्षण की आवश्यकता जिन्हें है, उन्हें मिलना चाहिए, न कि किसी संपन्न व्यक्ति को केवल जाति के नाम पर दूसरों के अधिकारों का हनन करना चाहिए। उन्होंने जातिगत आरक्षण में क्रीमीलेयर का प्रावधान लागू करने की मांग की। पाराशर नारायण ने कहा कि सरकार यूजीसी रेगुलेशन को वापस नहीं लेती है, तो हर मोर्चे पर उसका विरोध होगा। उन्होंने राजस्थान की सभी आरक्षण आधारित भर्तियों को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि सरकार के पास संवैधानिक व विधिक कार्य करने की इच्छाशक्ति नहीं है। राजस्थान में आरक्षित जातियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त से अधिक हो चुका है, फिर भी सरकार आरक्षण आधारित भर्तियां कर रही है।

कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र सिंह राठौड़, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष ऋषिराज सिंह राठौड़ और गोदावरी धाम के व्यवस्थापक शैलेंद्र भार्गव सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

संभागीय अध्यक्ष अनिल शर्मा ने राजनीतिक पार्टियों में आरक्षण व्यवस्था लागू करने और टिकट वितरण में आरक्षण का प्रावधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरक्षण के कारण किसी प्रतिभा का हनन हुआ है, तो सरकार मुआवजा दे। संभागीय संयोजक राजेंद्र गौतम् ने कहा कि वर्तमान जातिगत आरक्षण व्यवस्था से एससीए एसटी वर्ग के लोग भी वंचित हैं। अधिवेशन में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने, एससी-एसटी अधिनियम निरस्त करने, यूजीसी रेगुलेशन प्रावधान वापस लेने, आर्थिक आधार पर आरक्षण की समीक्षा करने जैसी प्रमुख मांगें रखी गई।

समता आन्दोलन समिति का यह स्थापना महोत्सव कोटा के हनुमंत वाटिका में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कोटा के सभी पदाधिकारियों ने अपने-अपने विचार प्रकट कर एट्रोसिटी एक्ट एवं यूजीसी रोल बेक की मांग की।

अजमेर में मनाया समता आंदोलन स्थापना महोत्सव

समता आन्दोलन लोगों को अधिकारों के प्रति कर रहा जागरूक

अजमेर। समता आंदोलन समिति की मांगों पर कोई भी सरकार अपनी राजनीति के चलते खुलकर नहीं बोल पाती है। यह बात समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मा ने शनिवार को समिति के 19वें स्थापना महोत्सव के तहत जनकपुरी गंज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि समिति लंबे समय से लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रही है। प्रावधानों की जानकारी के अभाव में लोग खुद को कमजोर समझते हैं। शर्मा ने समता आंदोलन की प्रगति व आगामी कार्य योजना की जानकारी दी तथा लोगों की शंकाओं का समाधान किया। जिलाध्यक्ष के. जी मोदानी ने कहा की समता आंदोलन समिति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की समानता के विपरीत असमानता की नीति आरक्षण, एससी एसटी एक्ट जो सामान्य वर्ग के साथ भेदभावपूर्ण, अत्याचारपूर्ण नीति है पर कड़ा विरोध करते हुए इन्हें बंद करने तथा यूजीसी बिल को वापस लेने की पूरजोर मांग भी करती है।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in